



भारत की स्वदेशी जनजातियों के लिये कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता फ्रेमवर्क के नहितारथ

प्रलिस के लिये:

[कॉन्फरेंस ऑफ पार्टिज़ \(COP15\)](#), कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता फ्रेमवर्क, सतत विकास लक्ष्य

मेन्स के लिये:

कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता फ्रेमवर्क, COP15 के परणाम, पर्यावरण प्रदूषण और कषरण, स्वदेशी समुदाय


[स्रोत: द हट्टि](#)

चरचा में क्यों?

हाल ही में एरज़ोना विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी में [कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता फ्रेमवर्क \(Global Biodiversity Framework- GBF\)](#) और इसके संभावित प्रभाव, विशेष रूप से भारत की स्वदेशी जनजातियों पर, से संबंधित चर्चाओं पर प्रकाश डाला गया।

कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता फ्रेमवर्क क्या है?

- **परिचय:** जैवविविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के पक्षकारों के 15वें सम्मेलन (COP15) में "कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता फ्रेमवर्क" (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework- GBF) को दिसंबर 2022 में अपनाया गया है।
 - इसका उद्देश्य [सतत विकास लक्ष्य](#) की प्राप्ति का समर्थन करना और पछिली रणनीतिक योजनाओं पर निर्माण करना है।
 - फ्रेमवर्क में **वर्ष 2050 के लिये चार लक्ष्य और वर्ष 2030 के लिये 23 लक्ष्य** निर्धारित किये गए हैं, जसमें योजना, नगरानी, रिपोर्टिंग, वित्त तथा क्षमता विकास शामिल हैं।
 - GBF के लक्ष्य 3 का उद्देश्य वर्ष 2030 तक संरक्षित क्षेत्रों को मौजूदा 16% की तुलना में विश्व के स्थलीय क्षेत्र के कम-से-कम 30% तक बढ़ाना है।
 - सभी दल (भारत सहित) GBF को लागू करने के लिये राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित करने हेतु प्रतिबद्ध हैं।



■ भारत की प्रगतः

- **लक्ष्य 3- 30x30:** भारत अपने 22% स्थलीय क्षेत्र और 5% समुद्री तथा तटीय क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के अंतर्गत लाने की रिपोर्ट करता है।
 - हालाँकि भारत में संरक्षित क्षेत्रों के वस्तुतः में प्रगतः हुई है, कति गैर-संरक्षण उद्देश्यों के लिये इन क्षेत्रों का आवंटन चिंताजनक है।
 - **भारत के वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2023** द्वारा सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए चड़ियाघर और पारस्थितिक पर्यटन जैसे वाणज्यिक उद्यमों को शामिल करने के लिये वन संबंधी गतिविधियों को पुनः परिभाषित किया गया।
 - हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार वन क्षेत्रों (संरक्षित क्षेत्रों को छोड़कर) के भीतर चड़ियाघर और सफारी स्थापित करने के किसी भी प्रस्ताव के लिये न्यायालय से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है।
 - अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपाय (OECMs): भारत ने नागरिक-नेतृत्व वाली पहल सहित OECMs की 14 श्रेणियों की पहचान की है, कति उनकी घोषणा की स्वैच्छिक प्रकृति विधिक सुरक्षा संबंधी चिंता उत्पन्न करती है।

भारत की मूल जनजातियों पर वन वस्तुतः का क्या प्रभाव हो सकता है?

- **नहितार्थ:** GBF लक्ष्यों के तहत वन वस्तुतः पारंपरिक भूमि उपयोग प्रथाओं और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर स्वदेशी समुदायों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, जिससे स्वदेशी आबादी के बीच गरीबी तथा खाद्य असुरक्षा बढ़ सकती है।
 - भारत के लगभग 84% राष्ट्रीय उद्यान स्वदेशी लोगों द्वारा बसाए गए क्षेत्रों में स्थापित किए गए थे और GBF लक्ष्यों को पूरा करने पर विशेष बल दिया जाना उनके अस्तित्व के लिये खतरा उत्पन्न कर सकता है।
- **संबंधित हालिया उदाहरण:** राजस्थान के कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य में बदलने की पहल से 162 जनजातीय गाँव वस्थापित हो सकते हैं।
 - मध्य प्रदेश में नौरादेही अभयारण्य की वस्तुतः योजना 62 जनजातीय बहुल गाँवों को प्रभावित कर सकती है।
 - असम में बराक भुवन वन्यजीव अभयारण्य की अधिसूचना खासी, दमिआ और अन्य स्वदेशी समूहों के लिये जोखिम पैदा करती है।

नोट: यह नकारात्मक प्रवृत्तः अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भी वदियमान है जहाँ मूल नविसायियों को संरक्षित क्षेत्रों में बुनियादी अधिकारों के अभाव का सामना करना पड़ता है। इसके उदाहरणों में **इंडोनेशिया के उजुंगकुलो नेशनल पार्क** शामिल है जहाँ इस क्षेत्र से संबंधित मूल नविसायियों को **आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, वदियुत और सुरक्षा** जैसे अधिकारों से वंचित किया गया।

भारत जैवविविधता संरक्षण में स्वदेशी जनजातियों का उपयोग कैसे कर सकता है?

- **इकोटूरज़िम के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण:** स्वदेशी समुदायों के नेतृत्व में इकोटूरज़िम पहल का समर्थन करना, सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देना और आय सृजति करना।
 - इसका एक असाधारण उदाहरण केरल के **वायनाड जनजात विरासत ग्राम** हैं, जहाँ समुदाय के नेतृत्व वाली इको-पर्यटन परियोजनाओं ने न केवल आय सृजन में वृद्धि की है अपितु वन्यजीवों की सुरक्षा भी की है और साथ ही स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाया है।
- **पारंपरिक और व्यावसायिक ज्ञान को एकीकृत करना:** सरकार स्वदेशी जनजातियों के पारंपरिक ज्ञान का लाभ उठा सकती है, जैसे मेघालय की **खासी और जैन्तिया जनजातियों** में "**पवतिर उपवनों** (स्थानीय वर्जनाओं और प्रतबिंधों के माध्यम से संरक्षित प्राकृतिक वनस्पति के क्षेत्र)" की रक्षा करने की एक समृद्ध परंपरा है।
 - इस ज्ञान को **भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII)** जैसे संस्थानों के वैज्ञानिक सर्वेक्षणों के साथ एकीकृत करके व्यापक संरक्षण योजनाएँ बनाई जा सकती हैं।
- **सह-प्रबंधन मॉडल को बढ़ावा देना:** पश्चिम बंगाल संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) कार्यक्रम जैसे सह-प्रबंधन मॉडल का वसितार करना जहाँ स्वदेशी समुदाय संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन के लिये वन विभागों के साथ कार्य करते हैं। यह उनके ज्ञान का उपयोग कर उनमें स्वामित्व की भावना को बढ़ावा देता है।

आगे की राह

- **निःशुल्क, पूर्व और सूचित सहमति:** भारत सरकार निःशुल्क, पूर्व और सूचित सहमति (FPIC) को बरकरार रखती है, जो **पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक वसितार) अधिनियम, 1996** के तहत जनजातीय भूमि पर संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना से पूर्व एक अनिवार्य आवश्यकता है।
- **सामाजिक प्रभाव आकलन:** मौजूदा आजीविका पर संरक्षित क्षेत्र वसितार के संभावित प्रभाव को समझने के लिये **सामाजिक प्रभाव आकलन** करने की आवश्यकता है।
 - **नामीबिया के सांप्रदायिक संरक्षण कार्यक्रम** के उदाहरण के बाद, संरक्षित क्षेत्रों के लिये सह-प्रबंधन मॉडल स्थापित किये जा सकते हैं।
 - ये मॉडल स्थायी प्रथाओं को प्रोत्साहित करते हुए स्वदेशी समुदायों को वन्यजीव प्रबंधन में हसिसेदारी प्रदान करते हैं।
- **नीतियों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना:** भारत को यह सुनिश्चित करते हुए **किईमानदार संरक्षण प्रयासों के साथ-साथ स्वदेशी अधिकारों और ज्ञान प्रणालियों का सम्मान** किया जाता है, अपनी राष्ट्रीय नीतियों को स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples- UNDRIP) सिद्धांतों के साथ संरेखित करना चाहिये।

प्रश्न. भारत की स्वदेशी जनजातियों पर कुनमिंग-मॉन्ट्रियल GBF के प्रभाव से उत्पन्न संभावित खतरों का आकलन कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

Q. "मोमेंटम फॉर चेंज: क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ" यह पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई है ? (2018)

- जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल
- UNEP सचिवालय
- UNFCCC सचिवालय
- वशिव मौसमवर्ज्ञान संगठन

उत्तर: (c)